ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-6
November-December-2019

भारतीय संविधान में मानवाधिकार सम्बन्धी प्रावधान: एक अध्ययन

डॉ. बलबीर सिंह, डॉ. मधुबाला

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान), जैन विश्वभारती संस्थान, (मान्य-विश्वविद्यालय), लाडनूं-341306 (राजस्थान)

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान), एस.एस. जैन सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामबाग सर्किल, जयपुर.

शोध-सार

मानव अधिकार एक ऐसा विषय है जिसका आधार न केवल समाज व राष्ट्र तक ही सीमित है बल्कि इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण सृष्टि के मानव समुदाय से है। मानवाधिकारों से तात्पर्य मानव के उन अधिकारों से है जो कि उसे विश्व समुदाय का अभिन्न अंग होने के कारण प्राप्त होते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन उसकी स्वतन्त्रता एवं गरिमा से सम्बन्धित सभी अधिकार मानवाधिकारों में ही शामिल किये जा सकते हैं। मानवाधिकार सम्पूर्ण जगत् के मानव से सम्बन्धित होने के कारण सार्वभौमिक माने जाते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भी सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के साथ-साथ अधिकांश राष्ट्रों द्वारा तथा अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में प्रयास जारी है। अतः भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे संविधान में क्या आधार निर्धारित किये गये है, इसका अवलोकन एवं विश्लेषण करना समीचीन है। समानता, स्वतन्त्रता, न्याय एवं मानव कल्याण हमारे संविधान के आदर्श माने जाते हैं। इन आदर्शों का आधार भी मानवीय कल्याण एवं उत्थान माना जा सकता है। अतः मानवाधिकार की हमारे संविधान का एक पहलू माना जाये तो कोई अतिश्योंक्ति नहीं होनी चाहिए। संवेधानिक रूप से भी भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा हेतु आयोग एवं संस्थान कार्यरत है जो कि इस बात के प्रमाण है कि भारतीय संविधान मानवाधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रकार का एक अध्ययन एवं अवलोकन करने का प्रयास इस लेख का मुख्य प्रयोजन है।

मुख्य शब्द: अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण, सार्वभौमिक कानून, सामाजिक समता, मानवीय कल्याण, रक्षा कवच, संस्कृति

Copyright©authors

ISSN 0975-119X
Vol-11-Issue-6
November-December-2019

विसरण, मानवीय गरिमा, दैहिक स्वतन्त्रता, सामुदायिकतावाद, स्वयंसेवी संस्थान।

प्रस्तावना

हम लास्की के इस कथन से सहमत हैं कि 'अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।' ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नस्ल, जाति, धर्म, भाषा, लिंग तथा रंग आदि के आधार बिना भेदभाव के मिलने चाहिए। प्राचीनकाल में मानव अधिकारों की समस्या कोई अन्तर्राष्ट्रीय समस्या नहीं थी। मानव-अधिकारों का मामला एक राज्य का मामला माना जाता था। परन्तु 21वीं शताब्दी में मानव अधिकार एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मानव-अधिकार एक जीवन्त मुद्दा बन गया है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के समबन्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मानव-अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है- जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के आधार बिना भेदभाव किए समस्त लोगों के लिए मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और और उन्नत करने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार मानव-अधिकारों की घोषणा कोई नई घटना नहीं है। यह सदियों के विकास का परिणाम है क्योंकि मानव को अपने अधिकारों के लिए बड़ा लम्बा संघर्ष करना पड़ा।

समस्या का चयन

मानवाधिकारों की अवधारणा के संदर्भ में समय पर अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किये जाते हैं। मानवाधिकारों की आड़ में एक तरफ व्यक्ति का बचाव करने का प्रयास किया जाता है तथा दूसरी तरफ यह भी चर्चा होती है कि मानवाधिकारों का हनन कानूनी व्यवस्था का मुख्य बिन्दु बनता जा रहा है। इन दोनों बिन्दुओं का अवलोकन एवं विश्लेषण करने के लिए भारतीय सत्ता में मानवाधिकारों के प्रावधान का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

उपलब्ध साहित्य का अवलोकन

1. **मानवाधिकार एवं मुद्दे:** राजेश चहल द्वारा लिखित एवं कल्पना प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक में मानवाधिकार के बारे में विविध पक्षों का अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक में मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं मानवाधिकारों की विविध अवधारणाओं की

Copyright©authors